

प्रेषक,

इन्द्रदेव पटेल
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश
इलाहाबाद।

उच्च शिक्षा अनुभाग-6

लखनऊ: दिनांक 20 मई, 2011

विषय:- राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा निर्गत प्रमाण पत्रों के आधार पर महाविद्यालयों को अल्पसंख्यक संस्था ट्रीट किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

निम्नलिखित संस्थाओं/महाविद्यालयों द्वारा उनके नाम के सम्मुख अंकित राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक द्वारा अल्पसंख्यक संस्था होने का प्राप्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर उन्हें अल्पसंख्यक संस्थाओं की श्रेणी में सम्मिलित किये जाने का अनुरोध किया गया है :-

संस्था का नाम	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा निर्गत प्रमाण पत्रांक दिनांक सहित
1. इस्लामिया डिग्री कॉलेज, देवबन्द सहारनपुर।	पत्र सं० एफ.नं. 760/2007/27874 दिनांक 23 मई, 2008
2. स्वामी विवेकानन्द महिला महाविद्यालय, औरंगाबाद, खालसा, शारदा नगर, लखनऊ।	पत्र सं० एफ.नं. 2461/2010/51637 दिनांक 31 मार्च, 2011

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 से आच्छदित पाठ्यक्रमों हेतु उक्त दोनों महाविद्यालयों को अल्पसंख्यक संस्थान ट्रीट किये जाने का निर्णय लिया गया है।

भवदीय,

(इन्द्रदेव पटेल)
अनु सचिव।

संख्या-951(1)/सत्तर-6-2011 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. कुलसचिव, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
3. कुलसचिव, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
4. क्षेत्रीय, उच्च शिक्षा अधिकारी, मेरठ/लखनऊ।
5. प्रबन्धक/सचिव, इस्लामिया डिग्री कॉलेज, देवबन्द सहारनपुर।
6. प्रबन्धक/सचिव, स्वामी विवेकानन्द महिला महाविद्यालय, औरंगाबाद, खालसा, शारदा नगर, लखनऊ।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(इन्द्रदेव पटेल)
अनु सचिव।

BY REGISTERED POST



भारत सरकार

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग

GOVERNMENT OF INDIA

NATIONAL COMMISSION FOR MINORITY EDUCATIONAL INSTITUTIONS

F. NO. 760 of 2007 / 27874 ✓

प्रथम तल, जीवन तारा भवन, ५, संसद मार्ग

पटेल चौक, नई दिल्ली - ११०००१

1st Floor, Jeevan Tara Building, 5, Sansad Marg

Patel Chowk, New Delhi - 110001

26th May 2008

Dated.....

To

The Secretary,
Islamia Degree College,
Deoband,
Saharanpur,
Uttar Pradesh

Sir,

Please refer to your letter dated 31.08.2007, forwarding therewith application in the prescribed format for obtaining the certification of minority educational institution for your college.

The Commission vide its Order dated the 21.05.2008 has decided to issue the Minority Status Certificate to Islamia Degree College. Accordingly, please find enclosed herewith the Minority Status Certificate dated the May 23, 2008 in original, in respect of Islamia Degree College, Deoband, Saharanpur, Uttar Pradesh.

Kindly acknowledge receipt.

Yours faithfully,

Enc: As above

(R. Renganath)

Secretary

Tel. No. 23367759



भारत सरकार

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग

GOVERNMENT OF INDIA

NATIONAL COMMISSION FOR MINORITY EDUCATIONAL INSTITUTIONS

प्रथम तल, जीवन तारा भवन, ५, संसद मार्ग

पटेल चौक, नई दिल्ली - ११०००१

1st Floor, Jeevan Tara Building, 5, Sansad Marg

Patel Chowk, New Delhi - 110001

F. No. 760 OF 2007/27874

MAY 23, 2008

ON CONSIDERATION OF THE DOCUMENTARY EVIDENCE PRODUCED BEFORE THE COMMISSION, THE COMMISSION IS SATISFIED THAT ISLAMIA DEGREE COLLEGE, DEOBAND, DIST. SAHARANPUR, UTTAR PRADESH, MANAGED BY THE ISLAMIA EDUCATIONAL AND CHARITABLE SOCIETY, DEOBAND, DISTT. SAHARANPUR, UTTAR PRADESH, EXCLUSIVELY IS A MINORITY EDUCATIONAL INSTITUTION WITHIN THE MEANING OF SECTION 2 (g) OF THE NATIONAL COMMISSION FOR MINORITY EDUCATIONAL INSTITUTIONS ACT 2004. CONSEQUENTLY, IT IS HEREBY DECLARED THAT THE AFORESAID COLLEGE IS A MINORITY EDUCATIONAL INSTITUTION COVERED UNDER ARTICLE 30 OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

GIVEN UNDER MY HAND AND THE SEAL OF THE COMMISSION.



(R. RENGANATH)
SECRETARY

सचिव/Secretary
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग
NATIONAL COMMISSION FOR
MINORITY EDUCATIONAL INSTITUTIONS
भारत सरकार, नई दिल्ली
Govt. of India, New Delhi